कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 1196 / री.ए.डी.एम / 2021 इन्दौर, दिनांक 27–3–2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय– कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु आने वाले त्यौहारों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश

(दिनांक 28–3–2021 से प्रभावशील)

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1163–1164 / रीएडीएम / 2021 दिनांक 25–3–2021 में उल्लेखित प्रतिबंधात्मक निर्देशों के तारतम्य में बिन्दु क्रमांक–4 में उल्लेखित निर्देश निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाते हैं :–

4– (अ) यह कि दिनांक 28 एवं 29–3–2021 की दरम्यानी रात्री में होने वाली होलिका दहन पर केवल प्रतीकात्मक रूप से कालोनी के आंतरिक भागों में अथवा गलियों में किया जाकर धार्मिक परंपरा का निर्वहन सांकेतिक रूप से किया जा सकेगा। सभी मुख्य मार्गों, चौराहों, बड़े मैदान आदि में यह पर्व मनाया जाना प्रतिबंधित रहेगा। इस धार्मिक परंपरा निर्वहन के दौरान अधिकतम 20 लोग कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए उपस्थित रह सकेंगे। क्षेत्रीय थाना प्रभारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्रीय सीएसपी एवं एसडीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी मुख्य मार्ग, मुख्य चौराहों अथवा बड़े मैदानों पर उक्त लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो।

(ब) यह कि शब–ए–बारात भी प्रतीकात्मक रूप से, किसी भी मोहल्ले विशेष के निवासियों द्वारा उसी मोहल्ले से संबंधित कब्रिस्तान में ही जाकर मनाया जा सकेगा। कब्रिस्तान कमेटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी एक समय में अधिकतम 20 लोग ही कब्रिस्तान के अंदर रहे। साथ ही किसी भी मोहल्ले के रहवासी शब–ए–बारात त्यौहार हेतु दूसरे मोहल्लों के कब्रिस्तान में

नहीं जा सकेंगे। क्षेत्रीय थाना प्रभारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स तथा क्षेत्रीय सीएसपी एवं एसडीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि रात्री में मुख्य मार्ग पर इस त्यौहार के नाम पर लोग दूसरे क्षेत्रों में ना जावे।

इस कार्यालय के आदेश कमांक 1163–1164/रीएडीएम/2021 दिनांक 25–3–2021 के तारतम्य में सभी धर्मों के धर्मस्थल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे तथा उस धर्मस्थल में नियमित धार्मिक किया करने वाले व्यक्ति उस धर्म–स्थल से संबंधित परंपरागत धार्मिक किया कर सकेंगे तथा इसमें आम श्रृद्धालुओं का जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 27 मार्च 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र०/1197/री0ए0डी0एम0/2021 इन्दौर, दिनांक 27–3–2021

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3– पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5– आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6– समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)

9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।

10– एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर

11– उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर

12– थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।

13– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

14– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

15– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.